



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 2014/अग्रहायण 20, 1936

No. 362]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 2014/AGRAHAYANA 20, 1936

भारतीय भेषजी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

भेषजी स्नातकोत्तर (एम.फार्म) पाठ्यक्रम विनियम, 2014

सं. 14-136/2014-भा.भे.परि.-भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 10 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय भेषजी परिषद्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्

भेषजी स्नातकोत्तर (एम.फार्म.) पाठ्यक्रम विनियम, 2014**अध्याय-I****1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

1. इन विनियमों का नाम भेषजी स्नातकोत्तर (एम.फार्म.) पाठ्यक्रम विनियम, 2014 है।
2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. भेषजी स्नातकोत्तर (एम.फार्म.) में भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन वृत्ति का व्यवसाय करने के लिए भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण/अर्हता अभिवृद्धि के प्रयोजनार्थ इन विनियमों में यथा विहित पाठ्यक्रम और परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

2. पाठ्यक्रम की अवधि :

- (क) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि दो पूर्णकालिक शैक्षणिक वर्ष होगी और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष कम से कम दो सौ कार्य दिवस का होगा।
- (ख) एम.फार्म. का अध्ययन वार्षिक पद्धति का होगा जिसके अंतर्गत शैक्षणिक अवधि के प्रारंभ से 12 मास तक विस्तारित एम.फार्म (भाग-1) और अगले 12 मास की अवधि का एम.फार्म (भाग-2) होगा।
- (ग) एम.फार्म. (भाग-1) के अंत में एम.फार्म (भाग-1) की विश्वविद्यालय परीक्षा होगी। एम.फार्म. (भाग-2) के अंत में अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित विषय पर एक शोध निबंध (डिजरटेशन) प्रस्तुत करेगा।

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

भेषजी स्नातक (बी.फार्म) पाठ्यक्रम विनियम, 2014

संख्या 14-154/2010-भा.भे.परि.-भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 10 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय भेषजी परिषद्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्

अध्याय - I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन विनियमों का नाम भेषजी स्नातक (बी.फार्म) पाठ्यक्रम विनियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भेषजी स्नातक के लिए भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन भेषजी वृत्ति का व्यवसाय करने के लिए भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के प्रयोजन के लिए इन विनियमों में यथा विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन और परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

अध्याय - II

3. पाठ्यक्रम की अवधि -

भेषजी स्नातक : पाठ्यक्रम की अवधि पूर्णकालिक चार शैक्षणिक वर्ष (वार्षिक/सेमेस्टर) होगी। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष वार्षिक पद्धति के लिए कम से कम दो सौ कार्य दिवस और प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एक सौ कार्य दिवस की अवधि का होगा।

4. प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता -

क. प्रथम वर्ष भेषजी स्नातक - निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी में उत्तीर्ण -

- i) अभ्यर्थी ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त संबंधित राज्य/केन्द्रीय सरकार के प्राधिकरणों द्वारा संचालित 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसमें एक विषय अंग्रेजी हो तथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित/जीव विज्ञान पृथक-पृथक वैकल्पिक विषय हो। तथापि, जिन छात्रों के पास अनौपचारिक और गैर कक्षा आधारित विद्यालयी संस्था जैसे, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी परीक्षा शिक्षण संस्थान, राज्यों की मुक्त विद्यालय पद्धति आदि की 10+2 अर्हता है, वे भेषजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ii) भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उपर्युक्त परीक्षाओं में से किसी के समकक्ष अनुमोदित कोई अन्य अर्हता।

तथापि, पाठ्यक्रम में प्रवेश के वर्ष के 31 दिसम्बर या उससे पूर्व छात्र की आयु 17 वर्ष होनी चाहिए।

तथापि, यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन, जो भी हो, द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगा।

ख. भेषजी स्नातक में बाद में प्रवेश (दूसरे वर्ष/तीसरे सेमेस्टर में)

भेषजी अधिनियम की धारा 12 के अधीन भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्थान से डी.फार्म. पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण ।

5. भेषजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश संख्या उतनी होगी जो भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
6. **अध्ययन पाठ्यक्रम** - भेषजी स्नातक के अध्ययन पाठ्यक्रम के विषय तथा सिद्धांत पक्ष, व्यवहार पक्ष और अनुशिक्षणीय पक्ष में शिक्षण के प्रत्येक विषय के लिए एक सप्ताह में उतने घन्टे होंगे जितने भारतीय भेषजी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे।
7. **व्यावहारिक प्रशिक्षण** : छात्र से अपेक्षित है कि वह 150 घण्टों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करे
 - (क) भेषजी व्यवहार (अस्पताल/सामुदायिक भेषजी) अथवा
 - (ख) भेषजीय और सम्बद्ध उद्योगों में जो दूसरे वर्ष के पश्चात् अध्ययन क्रम के दौरान कम से कम एक मास की अवधि का हो।
8. **पाठ्य विवरण** - अध्ययन के हर विषय के लिए पाठ्य विवरण वह होगा जो भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित करेगी ।
9. अध्ययन पाठ्यक्रम संचालित करने वाले प्राधिकरण का अनुमोदन -
 - 1) कोई व्यक्ति, संस्थान, सोसायटी, न्यास या विश्वविद्यालय भारतीय भेषजी परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना भेषजी स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ और संचालित नहीं करेगा।
 - 2) भेषजी अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु कोई व्यक्ति या भेषजी महाविद्यालय ऐसी स्कीम प्रस्तुत करेगा जो भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा निर्धारित की गई हो।
 - 3) ऊपर उपविनियम (2) में उल्लेखित स्कीम ऐसे प्रारूप में होगी और उसमें ऐसा विवरण होगा तथा ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएगा तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी जो निर्धारित की गई हो :

तथापि, भारतीय भेषजी परिषद् इन विनियमों के अधीन किसी संस्थान को तब तक अनुमोदित नहीं करेगी जब तक कि उसने इन विनियमों के परिशिष्ट 'क' में यथा निर्दिष्ट भवन, वास-सुविधा, प्रयोगशाला, उपकरण, शिक्षण कर्मचारीवृंद, गैर-शिक्षण कर्मचारीवृंद आदि के संबंध में अध्यापन के पर्याप्त इंतजाम न कर लिए हों।
10. **परीक्षा** -
 1. भेषजी स्नातक के प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष/सेमेस्टर के अंत में परीक्षा होगी।
 2. प्रत्येक परीक्षा हर वर्ष दो बार अर्थात् नियमित और अनुपूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
 3. परीक्षा लिखित और व्यावहारिक (मौखिक परीक्षा समेत) होगी, प्रत्येक भाग के लिए अधिकतम अंक होंगे जो भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे
11. **परीक्षा में बैठने की पात्रता** : परीक्षा में बैठने के लिए केवल वही छात्र पात्र होंगे जो उस संस्थान के प्रमुख का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें उन्होंने हर विषय में सिद्धांत पक्ष और व्यवहार पक्ष दोनों में अलग-अलग आयोजित कम से कम 80 प्रतिशत कक्षाओं में हाजिर होकर अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा किया हो।
12. **परीक्षा का ढंग** :
 - (1) सैद्धांतिक परीक्षा तीन घन्टे तथा व्यावहारिक परीक्षा चार घन्टे की होगी।
 - (2) जो छात्र किसी विषय की सैद्धांतिक या व्यावहारिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा वह यथास्थिति सैद्धांतिक या व्यावहारिक परीक्षा में दोबारा बैठेगा।
 - (3) व्यावहारिक परीक्षा में मौखिक परीक्षा भी शामिल होगी।

13. सत्र परीक्षा में अंक देना तथा अभिलेख का रख रखाव -
- (1) भेषजी स्नातक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देने वाले संस्थान में सैद्धांतिक और व्यावहारिक कक्षा कार्य और परीक्षाओं का नियमित अभिलेख हर छात्र के लिए रखा जाएगा तथा हर सैद्धांतिक विषय के लिए 25 अंक और हर व्यावहारिक विषय के लिए 25 अंक सत्रीय अंक के रूप में रखे जाएंगे।
 - (2) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम तीन आवधिक सत्र परीक्षाएं होंगी तथा सत्रीय अंकों की गणना किन्हीं दो प्रदर्शनों के सर्वोच्च औसत पर आधारित होगी।
 - (3) व्यावहारिक विषयों में सत्रीय अंक निम्नलिखित आधार पर दिए जाएंगे :-
 - (i) सत्र परीक्षा में वास्तविक प्रदर्शन (15 अंक),
 - (ii) व्यावहारिक कक्षा कार्य, तत्परता, मौखिक परीक्षा, अभिलेख रखने आदि का दैनिक मूल्यांकन (10 अंक)
14. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक - कोई छात्र तब तक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने सत्र अंकों समेत सैद्धांतिक या व्यावहारिक परीक्षाओं में हर विषय में पृथक-पृथक कम से कम 50% अंक प्राप्त न किए हों। भेषजी स्नातक में एक ही प्रयास में सब विषयों में कुल 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। किसी विषय या किन्हीं विषयों में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की उस विषय या उन विषयों में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा बशर्ते कि सब विषय एक ही प्रयास में उत्तीर्ण किए हों।
- 14(क). अगले वर्ष में प्रौन्नति के लिए पात्रता - वे सभी छात्र, जो सभी विषयों में बैठे हैं और प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, दूसरे वर्ष में प्रौन्नति के लिए पात्र हैं आदि आदि। फिर भी दो से अधिक विषयों में असफल छात्र अगले वर्ष की कक्षा में प्रौन्नति से वंचित हो जाएंगे।
15. परीक्षाओं का अनुमोदन - विनियम 10 से 12 और 14 में वर्णित परीक्षाएं उस परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएंगी जो भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित हो। ऐसा अनुमोदन तभी दिया जाएगा जब संबंधित परीक्षा प्राधिकरण इन विनियमों के परिशिष्ट (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो।
16. परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र - हर छात्र जो भेषजी स्नातक की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेगा उसे परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

परिशिष्ट (क)

(विनियम 9 देखिए)

शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

1. भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन भेषजी स्नातक के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए भारतीय भेषजी परिषद् में आवेदन करने वाला कोई प्राधिकरण या संस्था भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अनुपालन करेगा।
2. भेषजी स्नातक कार्यक्रम केवल उन्हीं संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे जो भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 12 के उपबन्धों के अनुसार भेषजी स्नातक के लिए भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित है।
3. शिक्षण कर्मचारी वृन्द
 - (i) कर्मचारी प्रतिरूप (पैटर्न) : सभी शिक्षक पूर्णकालिक होंगे
 - (ii) निदेशक/प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख - 1

(iii) विभाग/प्रभाग वार शिक्षण कर्मचारीवृंद

| विभाग/प्रभाग | पदनाम | संख्या (60 दाखिलों के लिए) | संख्या (100 दाखिलों के लिए) |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| फार्मास्यूटिक्स विभाग | प्रोफेसर/सह प्रोफेसर | 1 | 1 |
| | सहायक प्रोफेसर | 1 | 2 |
| | प्राध्यापक | 2 | 3 |
| फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री विभाग (फार्मास्यूटिकल एनालेसिस सहित) | प्रोफेसर/सह प्रोफेसर | 1 | 1 |
| | सहायक प्रोफेसर | 1 | 2 |
| | प्राध्यापक | 3 | 3 |
| फार्माकोलॉजी विभाग | प्रोफेसर/सह प्रोफेसर | 1 | 1 |
| | सहायक प्रोफेसर | 1 | 1 |
| | प्राध्यापक | 2 | 3 |
| फार्माकोग्नोसी विभाग | प्रोफेसर/सह प्रोफेसर | 1 | 1 |
| | सहायक प्रोफेसर | 1 | 1 |
| | प्राध्यापक | 1 | 1 |
| फार्मेसी प्रैक्टिस तथा संबंधित विषय विभाग | प्रोफेसर/सह प्रोफेसर | - | 1 |
| | सहायक प्रोफेसर | 1 | 1 |
| | प्राध्यापक | 1 | 1 |

(iv) निदेशक/प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख/विभागाध्यक्ष सहित शिक्षकों की अर्हताएं और अनुभव “भेषजी संस्थानो में शिक्षको की न्यूनतम योग्यता विनियम, 2014” में निहित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होंगे।

(v) शिक्षकों का कार्यभार :-

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| प्रोफेसर/सह प्रोफेसर | - | 8 घण्टे प्रति सप्ताह |
| सहायक प्रोफेसर | - | 12 घण्टे प्रति सप्ताह |
| प्राध्यापक | - | 16 घण्टे प्रति सप्ताह |

4. गैर - शिक्षण कर्मचारी

| क्रमांक | पदनाम | अपेक्षित संख्या (न्यूनतम) | अपेक्षित अर्हता |
|---------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | प्रयोगशाला तकनीशियन | प्रत्येक विभाग के लिए एक | डी.फार्म. |
| 2 | प्रयोगशाला सहायक या प्रयोगशाला परिचर | प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए एक (कम से कम) | एस.एस.एल.सी. |
| 3 | कार्यालय अधीक्षक | 1 | डिग्री |
| 4 | लेखापाल | 1 | डिग्री |
| 5 | भंडारी | 1 | किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त डी.फार्म. या स्नातक डिग्री |
| 6 | कंप्यूटर डाटा आपरेटर | 1 | बी.सी.ए. अथवा कंप्यूटर पाठ्यक्रम में स्नातक |
| 7 | कार्यालय कर्मचारी I | 1 | डिग्री |
| 8 | कार्यालय कर्मचारी II | 2 | डिग्री |
| 9 | चपरासी | 2 | एस.एस.एल.सी. |
| 10 | सफाई कार्मिक | यथोचित | - |
| 11 | माली | यथोचित | - |

5. आवास

प्रधानाचार्य अथवा विभागाध्यक्ष के कक्षों, कार्यालय, कक्षाओं, पुस्तकालय, कर्मचारीवृंद, स्टाफ कामन कक्ष, छात्र कामन कक्ष, संग्रहालय, प्रयोगशालाओं, भंडारों आदि के लिए पर्याप्त संवातन, प्रकाश और अन्य स्वास्थ्यकर अवस्थाओं से युक्त उपयुक्त और पर्याप्त आवास की व्यवस्था होनी चाहिए।

निम्नांकित के लिए आठ प्रयोगशालाओं के साथ-साथ कम से कम दो व्याख्यान कक्ष होने चाहिए -

| | | |
|--|---|---|
| 1. फार्मास्यूटिक्स एण्ड फार्माकोकिनेटिक्स प्रयोगशाला | - | 2 |
| 2. लाइफ साइंस (फार्माकोलॉजी, फिजियोलाजी, पैथोफिजियोलाजी) | - | 2 |

| | | |
|------------------------------|-----|------------|
| 3. फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री | - | 2 |
| 4. फार्माकोग्नोसी | - | 1 |
| 5. फार्मास्यूटिकल एनालेसिस | - | <u>1</u> |
| | योग | - <u>8</u> |

प्रयोगशालाओं के अलावा, तुला कक्ष, सेप्टिकरोधी कक्ष या केबिनेट, पशुशाला और मशीन कक्ष की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रयोगशाला का फर्श क्षेत्रफल किसी भी समय प्रयोगशाला में कार्य करने के लिए प्रतिछात्र कम से कम 30 वर्ग फुट होना चाहिए जो तैयारी कक्ष सहित कम से कम 900 वर्ग फुट अवश्य हो।

प्रयोगशालाओं की फिटिंग और उसका निर्माण ऐसी रीति से किया गया हो कि उन्हें ठीक से स्वच्छ रखा जा सके। जहां आवश्यक हो वहां गैस और पानी की फिटिंग, शैल्फ, फ्यूमिंग अलमारियों की व्यवस्था होनी चाहिए।

6. उपस्कर और उपकरण

विभिन्न विभागों के लिए अपेक्षित उपस्कर और उपकरण वह होंगे जो भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे।

परिशिष्ट (ख)

(विनियम 15 देखिए)

परीक्षा प्राधिकरण द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

1. परीक्षा प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ-क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाओं में अनुशासन और शालीनता का कड़ाई से पालन हो।
2. वह भारतीय भेषजी परिषद् के निरीक्षक या निरीक्षकों को परीक्षाओं में जाने और उनका निरीक्षण करने देगा।
3. वह निम्नलिखित व्यवस्थाएं भी करेगा -
 - (क) लिखित परीक्षाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक फर्नीचर युक्त पर्याप्त कक्ष ;
 - (ख) प्रायोगिक परीक्षा लेने के लिए साधन संपन्न प्रयोगशालाएं ;
 - (ग) परीक्षा संचालित करने और अन्वीक्षण करने के लिए पर्याप्त योग्य और जिम्मेदार परीक्षक ; तथा
 - (घ) ऐसी अन्य सुविधाएं जो परीक्षाओं के दक्षतापूर्ण तथा उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।
4. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो वह परीक्षा प्राधिकरण को विहित शुल्क, यदि कोई है, लेने के बाद परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण देगा।
5. वह ऐसे परीक्षकों की नियुक्ति करेगा जिनकी अर्हताएं संबंधित विषयों के शिक्षकों की अर्हताओं के समकक्ष हों जो भेषजी संस्थाओं में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता विनियम 2014 में निहित है।
6. भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 12 की उपधारा (3) के अनुसरण में परीक्षा प्राधिकरण भारतीय भेषजी परिषद् के सचिव को परीक्षाओं के लिए नियत तारीखें ऐसी परीक्षाओं की समय-सारणी, परीक्षा से कम से कम 6 सप्ताह पहले संसूचित करेगा जिससे कि परिषद् ऐसी परीक्षाओं में उपस्थित रहने के लिए निरीक्षण दल का इंतजाम कर सके।
7. परीक्षा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भेषजी स्नातक कार्यक्रम के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षक ऐसे व्यक्ति हों जिनके पास भेषजी अर्हता हो और जो किसी अनुमोदित संस्था में भेषजी स्नातक कार्यक्रम के शिक्षण में भाग लेते हों।

अर्चना मुद्गल, निबंधक-एवं-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./101/14]

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2014

The Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.) Course Regulations, 2014

No. 14-154/ 2010- PCI.—In exercise of the powers conferred by Section 10 and 18 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India, with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations; namely—

CHAPTER-I**1. Short title and commencement –**

- (1) These regulations may be called the Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) Course Regulations, 2014.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
2. B. Pharm shall consist of a certificate, having passed the course of study and examination as prescribed in these regulations, for the purpose of registration as a pharmacist to practice the profession under the Pharmacy Act, 1948.

CHAPTER-II**3. Duration of the course. –**

B. Pharm: The duration of the course shall be four academic years (annual/semester) full time with each academic year spread over a period of not less than two hundred working days for annual pattern and hundred working days for each semester.

4. Minimum qualification for admission to –**A. First year B. Pharm – A pass in any of the following examinations -**

- i. Candidate shall have passed 10+2 examination conducted by the respective state/central government authorities recognized as equivalent to 10+2 examination by the Association of Indian Universities (AIU) with English as one of the subjects and Physics, Chemistry, Mathematics/Biology as optional subjects individually. “However, the students possessing 10+2 qualification from non-formal and non-class rooms based schooling such as National Institute of Open Schooling, open school systems of States etc. shall not be eligible for admission to B.Pharm Course.”
- ii. Any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to any of the above examinations.

Provided that a student should complete the age of 17 years on or before 31st December of the year of admission to the course.

Provided that there shall be reservation of seats for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes in accordance with the instructions issued by the Central Government/State Government/Union Territory Administration as the case may be from time to time.

B. B. Pharm lateral entry (to second year/third semester) -

A pass in D. Pharm course from an institution approved by the Pharmacy Council of India under section 12 of the Pharmacy Act.

5. Number of admissions in B. Pharm course shall be as prescribed by the Pharmacy Council of India from time to time.
6. Course of study. – The course of study for B. Pharm shall include the subjects, number of hours in a week devoted to each subject for its teaching in theory, practical and tutorial as may be prescribed by the Pharmacy Council of India from time to time.
7. Practical Training: The student is required to undergo practical training of 150 hrs either in (A) Pharmacy Practice (Hospital/Community pharmacy) or (B) Pharmaceutical and allied Industries spread over a period of not less than one month during the course of study after second year.
8. Syllabus. – The syllabus for each subject of study shall be as prescribed by the Pharmacy Council of India from time to time.
9. Approval of the authority conducting the course of study. –
 1. No person, institution, society, trust or university shall start and conduct B. Pharm programme without the prior approval of the Pharmacy Council of India.

2. Any person or pharmacy college for the purpose of obtaining permission under sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, shall submit a scheme as may be prescribed by the Pharmacy Council of India.
3. The scheme referred to in sub-regulation (2) above, shall be in such form and contain such particulars and be preferred in such manner and be accompanied with such fee as may be prescribed:

Provided that the Pharmacy Council of India shall not approve any institution under these regulations unless it provides adequate arrangements for teaching in regard to building, accommodation, labs., equipments, teaching staff, non-teaching staff, etc., as specified in Appendix-A to these regulations.

10. Examination. –

1. There shall be an examination at the end of each academic year/semester of B.Pharm.
2. Each examination may be held twice every year namely regular and supplementary examination.
3. The examinations shall be of written and practical (including oral nature) carrying maximum marks for each part as may be prescribed by the Pharmacy Council of India from time to time.

11. Eligibility for appearing Examination.— Only such students who produce certificate from the Head of the Institution in which he or she has undergone the course of study by attending not less than 80% of the classes held both in theory and practicals separately in each subject shall be eligible for appearing at examination.

12. **Mode of examinations.—**

- (1) Theory examination shall be of three hours and practical examination shall be of four hours duration.
- (2) A candidate who fails in theory or practical examination of a subject shall re-appear in theory or practical as the case may be.
- (3) Practical examination shall also consist of a viva –voce (Oral) examination.

13. **Award of sessional marks and maintenance of records—**

- (1) A regular record of both theory and practical class work and examinations conducted in an institution imparting training for B. Pharm course, shall be maintained for each student in the institution and 25 marks for each theory and 25 marks for each practical subject shall be allotted as sessional marks.
- (2) There shall be at least three periodic sessional examinations during each academic year and the highest aggregate of any two performances shall form the basis of calculating sessional marks.
- (3) The sessional marks in practicals shall be allotted on the following basis:-
 - (i) Actual performance in the sessional examination (15 marks);
 - (ii) Day to day assessment in the practical class work, promptness, viva-voce, record maintenance, etc. (10 marks).

14. Minimum marks for passing examination.— A student shall not be declared to have passed examination unless he or she secures at least 50% marks in each of the subjects separately in the theory and practical examinations, including sessional marks. **The students securing 60% marks or above in aggregate in all subjects in a single attempt at B. Pharm shall be declared to have passed in the First Class. Students securing 75% marks or above in any subject or subjects shall be declared to have passed with distinction in the subject or those subjects provided he / she passes in all the subjects in a single attempt.**

14 (a). **Eligibility for the promotion to the next year. – All the students who have appeared for all the subjects and passed the First year Annual Examination are Eligible for promotion to the second year and so on. However, failure in more than two subjects shall debar him /her from promotion to the next year classes.**

15. Approval of examinations.— Examinations mentioned in regulations 10 to 12 and 14 shall be held by the examining authority which shall be approved by the Pharmacy Council of India under sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948. Such approval shall be granted only if the examining authority concerned fulfills the conditions as specified in Appendix-(B) to these regulations.

16. Certificate of passing examination.— Every student who has passed the examinations for the B. Pharm shall be granted a certificate by the examining authority.

APPENDIX- (A)**(See regulation 9)****CONDITIONS TO BE FULFILLED BY THE ACADEMIC TRAINING INSTITUTION**

- 1) Any authority or institution in India applying to the Pharmacy Council of India for approval of courses of study for B. Pharm. under sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 shall comply with the infrastructural facilities as prescribed by the Pharmacy Council of India from time to time.
- 2) B. Pharm. programmes shall be conducted only in those institutions which are approved by the Pharmacy Council of India for B.Pharm course as provided under section 12 of the Pharmacy Act, 1948;
- 3) **TEACHING STAFF REQUIREMENT**
 - (i) Staff Pattern: All faculty shall be full time.
 - (ii) Director/Principal/HOI - 1
 - (iii) Department/Division-Wise Teaching Staff:

| Department/Division | Name of the post | No.(for 60 admissions) | No.(for 100 admissions) |
|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Department of Pharmaceutics | Professor/Associate Professor | 1 | 1 |
| | Asst. Professor | 1 | 2 |
| | Lecturer | 2 | 3 |
| Department of Pharmaceutical Chemistry (Including Pharmaceutical Analysis) | Professor/Associate Professor | 1 | 1 |
| | Asst. Professor | 1 | 2 |
| | Lecturer | 3 | 3 |
| Department of Pharmacology | Professor/Associate Professor | 1 | 1 |
| | Asst. Professor | 1 | 1 |
| | Lecturer | 2 | 3 |
| Department of Pharmacognosy | Professor/Associate Professor | 1 | 1 |
| | Asst. Professor | 1 | 1 |
| | Lecturer | 1 | 1 |
| Department of Pharmacy Practice & related subjects | Professor/Associate Professor | - | 1 |
| | Asst. Professor | 1 | 1 |
| | Lecturer | 1 | 1 |

- iii) Qualification and experience for teaching faculty including Director/Principal/ Head of Instt./Head of Deptt. shall be as per the Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014.
- iv) Workload of Faculty :
 - Professor/Associate Professor – 8 hrs. per week
 - Assistant Professor – 12 hrs. per week
 - Lecturers – 16 hrs. per week

4) NON-TEACHING STAFF :

| Sl.No. | Designation | Required (Minimum) | Required Qualification |
|--------|---|--------------------------|---|
| 1 | Laboratory Technician | 1 for each Dept | D. Pharm |
| 2 | Laboratory Assistants or Laboratory Attenders | 1 for each Lab (minimum) | SSLC |
| 3 | Office Superintendent | 1 | Degree |
| 4 | Accountant | 1 | Degree |
| 5 | Store keeper | 1 | D.Pharm or a Bachelor degree recognized by a University or institution. |
| 6 | Computer Data Operator | 1 | BCA or Graduate with Computer Course |
| 7 | Office Staff I | 1 | Degree |
| 8 | Office Staff II | 2 | Degree |
| 9 | Peon | 2 | SSLC |
| 10 | Cleaning personnel | Adequate | --- |
| 11 | Gardener | Adequate | --- |

5) ACCOMMODATION :

Suitable and sufficient accommodation with adequate ventilation, lighting and other hygienic conditions should be provided to the rooms for Principal or the Head of the department, office, class rooms, library, staff, staff common room, students' common room, museum, laboratories, stores, etc.

At least two lecture halls along with eight laboratories as specified below should be provided for: —

| | |
|---|-----------|
| 1. Pharmaceutics and Pharmacokinetics Lab | - 2 |
| 2. Life Science (Pharmacology, Physiology, Pathophysiology) | - 2 |
| 3. Pharmaceutical Chemistry | - 2 |
| 4. Pharmacognosy | - 1 |
| 5. Pharmaceutical Analysis | - 1 |
| | ----- |
| | Total = 8 |
| | ----- |

In addition to the laboratories, balance room, aseptic room or cabinet, animal house and a machine room shall also be provided.

Floor area of the laboratory should not be less than 30 square feet per student required to work in the laboratory at any given time subject to a minimum of 900 square feet including Preparation Room.

Laboratories should be fitted and constructed in a manner that these can be kept reasonably clean. Gas and water fittings, shelves, fuming cupboards be provided wherever necessary.

6. EQUIPMENT AND APPARATUS :

The details of equipments and apparatus required for various departments shall be as prescribed by the Pharmacy Council of India from time to time.

APPENDIX - B

(See regulation 15)

**CONDITIONS TO BE FULFILLED BY
THE EXAMINING AUTHORITY**

- The Examining Authority shall be a Indian University constituted by the Central Government/State Government/Union Territory Administration or a Deemed to be University. It shall ensure that discipline and decorum of the examinations are strictly observed at the examination centers.
- It shall permit the Inspector or Inspectors of the Pharmacy Council of India to visit and inspect the examinations.
- It shall provide:-
 - adequate rooms with necessary furniture for holding written examinations;
 - well-equipped laboratories for holding practical examinations;
 - an adequate number of qualified and responsible examiners and staff to conduct and invigilate the examinations; and
 - such other facilities as may be necessary for efficient and proper conduct of examinations.
- It shall, if so required by a candidate, furnish the statement of marks secured by a candidate in the examinations after payment of prescribed fee, if any, to the Examining Authority.
- It shall appoint examiners whose qualifications should be similar to those of the teachers in the respective subjects as prescribed in the Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014.
- In pursuance of sub-section (3) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948, the Examining Authority shall communicate to the Secretary, Pharmacy Council of India, not less than six weeks in advance the dates fixed for examinations, the time-table for such examinations, so as to enable the Council to arrange for inspection teams to attend at such examinations.
- The Examining Authority shall ensure that examiners for conducting examination for B. Pharm. programme shall be persons possessing pharmacy qualification and are actually involved in the teaching of the B. Pharm. programme in an approved institution.

ARCHNA MUDGAL, Registrar-cum-Secy.

[ADVT. III/4/Exty./101/14]